संशोधन

संख्या-654/2026/572(1)-26-27-सिं-9-34 एसएवी/26

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 01 जुलाई, 2026**

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग(निर्माण कार्य) राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक-2700, 2701, 2702 एवं 2711 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-144/2026/001-572-26-27-सिं-9-34 एसएवी/26, दिनांक 09.05.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनु0 सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक-2700 में प्राविधानित धनराशि रू0 137002.46 लाख के सापेक्ष रू0 136952.46 लाख, लेखाशीर्षक-2701 में प्राविधानित धनराशि रू0 185878.53 लाख के सापेक्ष रू0 185078.45, लेखाशीर्षक-2702 में प्राविधानित धनराशि रू0 243138.26 लाख के सापेक्ष रू0 243138.26 लाख एवं लेखाशीर्षक-2711 में प्राविधानित धनराशि रू0 68723.00 लाख के सापेक्ष रू0 68723.00 लाख अर्थात् **कुल प्राविधानित धनराशि रू0 634742.25 लाख में से धनराशि रू0 633892.17 लाख (रूपये तिरसठ अरब अड़तीस करोड़ बानबे लाख सत्रह हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-5 में **वित्तीय वर्ष 2026-27** के स्थान पर त्रुटिवश **वित्तीय वर्ष 2025-26** अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 09.05.2026 के प्रस्तर-1 के बिन्दु संख्या-5 में अंकित **वित्तीय वर्ष 2025-26** के स्थान पर **वित्तीय वर्ष 2026-27** पढ़ा जाय।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. निदेशक, कोषागार, लखनऊ।
4. प्रमुख अभियन्ता (परियोजना)/(यांत्रिक)/(परिकल्प एवं नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (बजट), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1।
8. सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग- 2/4
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद यादव
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in